Agra

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई 27–कैलाश विहार, निर्भय नगर, आगरा–282007 द्वारा (आगरा–इटावा) सैक्शन का छः लेन चौड़ीकरण एन0एच0–2, कि0मी0–199.660 से 218.000 किलोमीटर के उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु (आगरा जनपद में आच्छादित लम्बाई हेतु) अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 31.01.2012 को अपरान्ह 3.00 बजे कलैक्ट्रेट सभागार आगरा में सम्पन्न लोक सुनवाई कार्यवृत्त।

आगरा–इटावा एन0एच0–2 (किमी0 199.660 से 218.000 कि0मी0 तक आगरा में आच्छादित 18.34 किमी0 लम्बाई हेतु) उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 31.01.2012 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोक सुनवाई सम्पन्न हुई लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्न है।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना आगरा–इटावा एन0एच0–2 (किमी0 199.660 से 218.000 कि0मी0 तक आगरा में आच्छादित 18.34 किमी0 लम्बाई हेतु) के उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1533, दिनांक 14.09.2006 के अर्न्तगत आच्छादित होने के कारण लोक सुनवाई हेतु नियमानुसार जनपद आगरा के दो प्रमुख समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान टाइम्स, अंग्रेजी संस्करण एवं दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र में दिनांक 30.12.2011 कों आवश्यक सूचना का प्रकाशन कराया गया था। पर्यावरणीय दृष्टि से परियोजना के विरोध में कोई लिखित आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोकसुनवाई संबंधित कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसके अर्न्तगत नेशनल हाई–वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के पर्यावरणीय सलाहकार श्री विनोद कुमार गौतम द्वारा उपस्थित अधिकारीगण एवं जनमानस के संज्ञान हेतु संदर्भित परियोजना पर संक्षिप्त विवरण से अवगत कराया गयाः–

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त संदर्भित परियोजना का निर्माण वर्तमान में स्थित चार लेन से छह लेन चौड़ीकरण प्रस्तावित है तथा सुचारू आवागमन हेतु छः अण्डरपास एवं आगरा में प्रारम्भिक बिन्दु से नौ कि0मी0 लम्बी दोनो ओर सर्विस रोड अतिरिक्त रूप से प्रस्तावित है।
- उपरोक्त संदर्भित परियोजना आगरा के (किमी0 199.660) यमुना पुल से प्रारम्भ होकर फिरोजाबाद जनपद की सीमा यथा एत्मादपुर (दिल्ली–हावड़ा रेल लाईन) किमी0 218.000 पर समाप्त होती है। आगरा जनपद में कुल 18.34 कि0मी0 चौड़ीकरण/सुदृणीकरण हेतु परियोजना कियान्वयन होना है।
- आगरा जनपद में कुल 18.34 कि0मी0 चौड़ीकरण/सुदृणीकरण हेतु नेशनल हाईवे के निर्धारित मानकों के अनुरूप दायें एवं बांये किनारे पर पूर्व से स्थित संरचनाओं के विस्थापन एवं तोड़फोड़ की गम्भीर समस्या नहीं है।
- उपरोक्त संदर्भित परियोजना के 10 कि0मी0 दूरी में कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य/राष्ट्रीय पार्क इत्यादि नहीं है तथा संदर्भित परियोजना ताज ट्रेपेजियम जोन में स्थित है।
- उपरोक्त संदर्भित परियोजना आगरा में स्थित कि0मी0 204.000 से कि0मी0 206.000 तक आरक्षित वन से होकर गुजरती है जबकि परियोजना के कियान्वयन हेतु अन्य विकास कार्य

नहीं किये जाने हैं क्योंकि इस क्षेत्र में पहले से ही छः लेन चौड़ी सड़क स्थित है अतः वर्तमान परियोजना कियान्वयन हेतु आरक्षित वन भूमि का डायवर्जन इत्यादि नहीं किया जाना है।

- उपरोक्त संदर्भित परियोजना के कियान्वयन के दौरान कुल 508 वृक्ष/पेड़ों का पातन आवश्यक है पातन इत्यादि हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा से पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी।

लोक सुनवाई हेतु परियोजना के सक्षिप्त प्रस्तुतिकरण के पश्चात उपस्थित जनसमुदाय के प्रतिनिधियों एवं आगरा नगर के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों एवं बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों/सुझावों एवं विचार विमर्श पर चर्चा की गई जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. **प्रश्न :** सर्वप्रथम श्री के0के0 पॉलीवाल, अध्यक्ष, नेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स, आगरा द्वारा जानना चाहा गया कि उपरोक्त संदर्भित परियोजना के कियान्वयन के संबंध में झरना नाला, कुबेरपुर के निकटवर्ती क्षेत्र में चौड़ीकरण किस प्रकार प्रस्तावित है।

   उत्तरः नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के पर्यावरणीय सलाहकार श्री विनोद कुमार गौतम एवं नेशनल हाई-वे इंजीनियर श्री हरेन्द्र कुमार द्वारा बताया गया कि झरना नाला, कुबेरपुर के निकटवर्ती क्षेत्र में चौड़ीकरण का कार्य नहीं होना है अन्य विकास कार्य नहीं किये जाने हैं क्योंकि इस क्षेत्र में पहले से ही छः लेन चौड़ी सड़क स्थित है अतः वर्तमान परियोजना कियान्वयन हेतु आरक्षित वन भूमि का डायवर्जन इत्यादि नहीं किया जाना है और अन्य नया सर्विस रोड प्रस्तावित नहीं है अतः वर्तमान प्रस्तावित परियोजना में प्रश्नगत क्षेत्र में नवीन निर्माण इतवामद नहीं होना है।

2. **प्रश्न :** श्री के0के0 पॉलीवाल, अध्यक्ष, नेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स, आगरा द्वारा पुनः पूछा गया कि वर्तमान में ट्रांस यमुना क्षेत्र में सर्विस रोड कम चौड़ा है जिसके कारण नागरिक सुविधाओं का अभाव, जाम की समस्या रहती है अतः इस स्थल पर समस्याओं के समाधान हेतु किस प्रकार सड़क चौड़ीकरण प्रस्तावित है तथा कितनी अतिरिक्त सड़क चौड़ाई प्रस्तावित है?

   उत्तरः नेशनल हाई-वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के पर्यावरणीय सलाहकार श्री विनोद कुमार गौतम एवं हाई-वे इंजीनियर श्री हरेन्द्र कुमार द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र में 07 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण प्रावधानित है।

3. **प्रश्न :** श्री रमन, सदस्य, अनुश्रवण समिति, आगरा द्वारा पूछा गया कि एन0एच0ए0आई0 द्वारा सड़क संचालन एवं रखरखाव हेतु क्या आई0आर0सी0 निर्धारित मानक अपनाये जायेंगे अथवा नहीं। सड़क के संचालन एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व किस एजेन्सी द्वारा किया जाता है तथा आई0आर0सी0 के मानक में एन0एच0ए0आई0 की सड़क पर कितने गहराई के गड्ढे अनुमन्य हैं।

उत्तरः नेशनल हाई–वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के हाई–वे के प्रतिनिधि इंजीनियर श्री हरेन्द्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क के रखरखाव एवं पुनरीक्षण समय की मॉग आधारित रिपेयरिंग प्रकिया है तथा पब्लिक सर्विस प्रोवाईडर हेतु अनिवार्य उत्तरदायित्व है। आई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखरखाव एवं संचालन का कार्य किया जाता है और आई0आर0सी0 मानक के अनुसार एक भी गड्ढा अनुमन्य नहीं हैं।

4. **प्रश्न :** श्री रमन, सदस्य, अनुश्रवण समिति, आगरा द्वारा पुनः पूछा गया कि परियोजना के कियान्वयन हेतु हॉट मिक्स प्लाण्ट कहॉ स्थापित किये गये है।

उत्तरः नेशनल हाई–वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के हाई–वे प्रतिनिधि इंजीनियर श्री हरेन्द्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि हॉट मिक्स प्लाण्ट की स्थापना टी0टी0जेड0 क्षेत्र से बाहर जनपद फिरोजाबाद में उपयुक्त स्थल पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही की जायेगी वर्तमान में कोई भी हॉट मिक्स प्लाण्ट स्थापित/संचालित नहीं है।

5. **प्रश्न :** श्री रमन, सदस्य, अनुश्रवण समिति एवं नेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स, आगरा के अध्यक्ष द्वारा जानकारी चाही गई कि प्रस्तावित परियोजना कियान्वयन हेतु आगरा जनपद सीमा अन्तर्गत कितने पेड़ काटे जायेंगे एवं इन कटे हुये पेड़ों के स्थान पर नये पेड़ों का रोपण किस प्रकार किया जायेगा तथा उनकी कुल संख्या कितनी होगी।

उत्तरः नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि इंजीनियर श्री हरेन्द्र कुमार द्वारा जानकारी दी गई कि उपरोक्त संदर्भित परियोजना के कियान्वयन के दौरान कुल 508 वृक्ष/पेड़ों का पातन आवश्यक है पातन इत्यादि हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा से पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी तथा वृक्षों के पातन के पश्चात वृक्षारोपण हेतु निर्देशित कुल वृक्षों के पुनः रोपण हेतु नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा उचित भूमि प्रबन्धन/अधिग्रहण किया जायेगा तथा आगरा वन विभाग को आवश्यक भूमि, वित्तीय प्रबन्धन उपलब्ध कराई जायेंगी ताकि नियमानुसार नये पेड़ों का पुनः वृक्षारोपण आगरा वन विभाग द्वारा प्रस्तावों/विभागीय नियम कायदे के अनुरूप संभव होसके यह प्रकिया वन विभाग द्वारा ही सम्पन्न की जानी है तथा प्रकिया हेतु इकाई को प्रस्तावों से निर्देशित किया गया है।

6. **प्रश्न :** श्री मोहन सिंह, निवासी एत्मादपुर, आगरा द्वारा पूछा गया कि एत्मादपुर में सर्विस रोड बनेगी अथवा ओवर ब्रिज का निर्माण होगा अतः इस संबंध में प्रस्ताव की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये।

उत्तरः नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि इंजीनियर श्री हरेन्द्र कुमार द्वारा लोक सुनवाई के दौरान सूचित किया गया कि एत्मादपुर में मात्र सर्विस रोड

प्रस्तावित है ओवर ब्रिज प्रस्तावित नहीं है तथा दूसरी दिशा में सुगम एवं सुचारू यातायात हेतु मैरेज होम के निकट कट प्रस्तावित है।

श्री राजकुमार, उपजिलाधिकारी एत्मादपुर, आगरा द्वारा सुझाव दिया गया कि आगरा में जल संस्थान चौराहे पर कम से कम आठ लेन चौड़ी सड़क बनाई जाये ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या नियंत्रित हो सके चर्चा के दौरान अपरजिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), आगरा/अध्यक्ष महोदय लोक सुनवाई द्वारा प्रस्तावों में संशोधन हेतु जन उपयोगी सुविधाओं की वृद्धि हेतु सिकन्दरा से जल संस्थान चौराहे तक फ्लाई ओवर निर्माण हेतु सुझाव दिया गया।

लोक सुनवाई के दौरान विभिन्न संस्थाओं/प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों को संज्ञानित करते हुए उपरोक्त वर्णित आश्वासन एवं सहमति के आधार पर परियोजना प्रबन्धक को डी0पी0आर0 में इन बिन्दुओं को सम्मिलित किये जाने तथा शतप्रतिशत अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सहमति प्रदान की गई उक्त के आधार पर लोक सुनवाई सदन द्वारा सर्वसम्मति के साथ ध्वनिमत से निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है:–

1. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना परियोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ न किया जाए।
2. (आगरा–इटवा) एन0एच0–2 कि0मी0 199.660 से 218.000 कि0मी0 (आगरा में आच्छादित 18.34 किमी0 लम्बाई हेतु) के उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि परियोजना के कारण यमुना नदी/अन्य वाटर बॉडी/नेचुरल ड्रेन/नाले आदि प्रभावित न होने पायें।
3. प्रस्तावित एलाइनमेण्ट राष्ट्रीय राजमार्ग/राजमार्ग/प्रमुख मार्ग/नहर/नाले/गैस पाइप लाइन/हाईटेंशन लाइन से होकर गुजरेगा। कार्ट ट्रैक्स, अण्डर पास, ब्रिज बनाए जाएंगे। अतः परियोजना प्रस्तावकों द्वारा सम्बन्धित विभागों से नियमानुसार अनापत्ति/क्लीयरेंस प्राप्त कर ली जाए।
4. वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि परियोजना प्रस्तावकों द्वारा न्यूनतम वृक्षों के पातन एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। टी0टी0जेड0 के अर्न्तगत वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में वन विभाग/मा0 सर्वोच्च न्यायालय से यथावश्यकतानुसार अनुमति प्राप्त की जाए। प्रभागीय दिनेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा लोक सुनवाई के दौरान निर्देशित किया गया कि एन0एच0ए0आई0 द्वारा पर्यावरण एवं वन मत्रालय, भारत सरकार की बिना अनुमति प्राप्त किये ही लगभग कि0मी0 205–6 क्षेत्र में 4.09 हेक्टेयरं रिजर्व फारेस्ट का प्रयोग किया गया है जिसकी अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5. प्रस्तावित एलाइनमेण्ट के पास कोइ ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से यथावश्यकतानुसार अनापत्ति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।

6. परियोजना हेतु नवीनतम पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कराया जायें।

7. निमार्ण के समय होने वाले ध्वनि/वायु प्रदूषण की रोकथाम समुचित व्यवस्था की जायें तथा परिवेशीय वायु गुणता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाये तथा परियोजना के कियान्वयन के समय परिवेशीय वायु गुणता की नियमित मानीटरिंग की जाये।

8. उक्त परियोजना के संरेखण में आने वाले सभी ग्रामीण मार्गों पर आवश्यकतानुसार अण्डर पासेज/कार्ट ट्रैक्स की व्यवस्था की जाये।

9. यह स्पष्ट किया गया कि यह सुनवाई केवल उक्त चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण परियोजना के निर्माण के लिए है। इसके अंतर्गत अन्य विकास कार्य आदि के लिए अलग से आवश्यकतानुसार क्लीयरेंस प्राप्त की जाए।

10. अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि क्षेत्र में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न होने पाए तथा इसके लिए आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्टार्म वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। भू–भराव में नियमानुसार फ्लाई एश का प्रयोग किया जाए साथ ही जल संचयन की व्यवस्था की जाये।

11. जनपद आगरा एवं सम्पूर्ण परियोजना स्थल टी0टी0जेड0 के अर्न्तगत स्थित है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश/टी0टी0जेड0 अथॉरिटी के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

12. टी0टी0जेड0 आच्छादित क्षेत्र में हॉट मिक्स प्लाण्ट की स्थापना प्रतिबंधित है एवं रेडीमिक्स कंक्रीट/बैचिंग प्लाण्ट हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण विभाग की अनुमति आवश्यक होगी।

13. परियोजना के टी0टी0जेड0 आच्छादित क्षेत्र में निर्माण/क्रियान्वयन के पूर्व टी0टी0जेड0 प्राधिकरण, आगरा से अनुमति प्राप्त की जाए।

अंत में सभी उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों का अभार प्रकट करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया।

31/01

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा।

31-1-12
(राम आसरे)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
आगरा।

अपर जिलाधिकारी (वि. एवं रा.)
आगरा

भारतीय राष्ट्रीय राजम[illegible]िकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई 27–कैलाश विहार, निर्भय नगर, आगरा–282007 द्वारा (आगरा–इटावा) सैक्शन का छः लेन चौड़ीकरण एन0एच0–2, कि0मी0–166.660 से 218.000 किलोमीटर के उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु (आगरा जनपद में आच्छादित लम्बाई हेतु) जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 31.01.2012 को अपरान्ह 3.00 बजे कलैक्ट्रेट सभागार आगरा में सम्पन्न लोक सुनवाई की उपस्थिति।

क0सं0	नाम	पद नाम	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर
1	श्री अंजय चौहान	जिलाधिकारी, आगरा		
2	श्री जगदीश्वर	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आगरा		
3	श्री राम आसरे	अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 आगरा	9454441758	[signature]
4	अब्दुल बासित	Project Director NHAI, AGRA.	9917541605	[signature]
5	समर बहादुर सिंह	[illegible] _ Manager	9997699760	[signature]
6	रमन	Tech, NHAI, Agra		[signature]
7	[illegible]	[illegible]	9837572388	[signature]
8	के. के. भटनागर	[illegible]	9837012380	
9	Pradeep Varshneya	Past President Chamber	9837053777	[signature]
10	Vishnu Bhagwan Agarwal	National Chamber	9758932424	[signature]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[signature]
12	[illegible]	[illegible]	9410900847	
13	Ajay [illegible]	[illegible]	9450136985	[signature]
14	[illegible]	[illegible]	9917572110	[signature]
15	Rajendra Agrawal	क्षेत्रीय	7500025057	[signature]
16	[illegible]	[illegible]	9917615590	[signature]
17	[illegible]	[illegible]	9927053323	
18	[illegible]			
19	शान्तिस्वरूप			
20	सुरेश चन्द			
21	[illegible]			
22	[illegible] Kumar		963862	
23	Amit Narwar	Tundla	9045228795	[signature]

50	Karshni Geeta	Yamuna Shudikaran	9917372555	[signature]
51	Rajesh Sharma	D.B.G.	9758111213	[signature]
52	Dr. B.B. Awasthi	RO UPPCB Agra	9410619226	[signature] 31/01
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				